



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी विशू तोमर को हुआ 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विशू तोमर पुत्र अमित निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 753/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विशू तोमर को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड आरोपी सचिन कुमार को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र नैनी निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 369/2019 धारा 323/504/354घ(1)(2) भादवि व 11(3)/12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सचिन कुमार को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक-23.07.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 तथा एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 नं0 DL5SCR-1469 तथा एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 148/2024 धारा 312/313/317(2)/317(5) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकिव पुत्र आस मौहम्मद निवासी गली नं0 10 कर-बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 नं0 DL5SCR-1469 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 020949 दिनांक 18-07-2024 थाना गोकलपुरी नोर्थ ईस्ट दिल्ली)
- एक अवैध चाकू ।

- चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाश नाथ सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 317 मोहिन्द्र थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 23.07.24

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

सहदेव पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत

2-का0 1006 सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 23.07.24

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नूरा पुत्र जाकर अली निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-वसीम पुत्र जाकर अली निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 940 अभिषेक शेखावत थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनाँक 23.07.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र चांदपाल निवासी किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

2-हो0गा0 512 रेशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.07.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-विनोद पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-विजय पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-योगेन्द्र सिंह पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
2. है0का0 622 दिनेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 3.का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 4.का0 995 अभय प्रताप थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.07.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/24 धारा 352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 184/24 धारा 352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आरिफ पुत्र जमील निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 454 जितेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।